न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–523/2026

(CNR No.UPBH010012762026)

1–रफी अहमद आयु 30 वर्ष पुत्र खलील अहमद,
2–फसी अहमद आयु 25 वर्ष पुत्र खलील अहमद,
3–समी अहमद उर्फ अली अहमद आयु 32 वर्ष पुत्र खलील अहमद,
4–मोनिस आयु 22 वर्ष पुत्र तुफैल,
5–तुफैल उर्फ तुफैल अहमद आयु 40 वर्ष पुत्र सनाउल्ला,
6–सईद आयु 25 वर्ष पुत्र मुकीम,
7–इरफान आयु 32 वर्ष पुत्र सददीक,
निवासीगण–कोटवा बैराकाजी, थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच।

---आवेदक/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य---

-------अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–59/2026,
धारा–191(2),191(3),190,115(2),
118(1),352,351(3),109 बी०एन०एस०
थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

19.03.2026

1– थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–59/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109 बी०एन०एस० में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध आवेदक/अभियुक्तगण रफी अहमद, फसी अहमद, समी अहमद उर्फ अली अहमद, मोनिस, तुफैल उर्फ तुफैल अहमद, सईद व इरफान की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके समर्थन में शपथी हयातउल्लाह अंसारी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा उपरोक्त अभियोग में आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनाँक–26.02.2026 को निरस्त किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह कथन किया गया है कि यह उनका सत्र न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। उनका कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय पर न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

4– जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच व वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

5– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अब्दुल वाहिद दिनांक–25.02.2026 की रात्रि 09:45 बजे कोटवा चौराहे पर नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा था, तभी उसने देखा कि कोटवा चौराहे पर ग्रामवासी समाल अहमद को गांव के ही रफी अहमद, फसी अहमद, समी अहमद, मोनिस, तुफैल, सईद, इरफान तथा 5 से 7 अज्ञात लोग घेरकर मार रहे थे। उनके हाथों में धारदार हथियार, पिस्टल तथा लाठी–डण्डे मौजूद थे और वह लोग पूरी तरीके से समाल अहमद को गाली देते हुए जान से मार डालने की बात एक– दूसरे से कह रहे थे। उसने पिस्टल से गोली चलने की आवाजें सुनी। उसने शोर मचाना शुरू किया, तभी वहां नमाज से वापस लौट रहे गांव के ही अफजाल, खालिक, इमरान व अन्य कई ग्रामवासी भी वहां पर दौड़कर पहुंचे और समाल अहमद को बचाने का प्रयास करने लगे। उस समय हमलावर समाल अहमद पर जान से मार डालने

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 16:33:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर रहे थे, जैसे ही वे लोग नजदीक पहुंचे हमलावरों ने उन लोगों को भी हमलावर होकर गाली व धमकी देते हुए मारने–पीटने लगे, जिसमें अफजाल अहमद व अन्य को काफी चोटें आईं हैं। घटनास्थल पर समाल खून से लथपथ हमलावरों से अपने बचाव के लिए इधर–उधर भागने की कोशिश कर रहा था। अधिक शोर–शराबे पर कई लोगों के और इकट्ठा होते देख सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फायर करते हुए वहां से भाग गये। घटना के बाद उसने व अन्य मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में समाल अहमद को तुरन्त गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरगंज पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गम्भीर होने पर समाल अहमद को लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

6– वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक–26.02.2026 को समय 05:41 बजे आवेदक/अभियुक्तगण व 5–7 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अपराध सं०–59/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109 बी०एन०एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना–कैसरगंज में पंजीकृत की गई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

7– आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। वादी अब्दुल वाहिद कमेटी अब्दुल मन्नान कासमी के सदस्य हैं और उक्त कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यगण उनकी वक्फ अलल औलाद की भूमि गाटा संख्या–541 पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित–24.02.2026 में वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित–13.01.2026 को निरस्त करते हुए वक्फ बोर्ड को उनके पक्ष को सुनते हुए पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया, जिस कारण वादी व उक्त कमेटी के पदाधिकारीगण, सदस्यगण उनसे रंजिश मानने लगे और दिनांक–25.02.2026 को कमेटी के पदाधिकारीगण व सदस्यगण पैसों के लेनदेन को लेकर आपस में भिड़ गये तथा फर्जी व गलत तथ्यों के आधार पर रंजिशन मुकदमा में अभियुक्त बना दिया। विवेचक द्वारा कोई बरामदगी नहीं की गई है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा लाठी, धारदार हथियार व पिस्टल से कई लोगों को मारना बताया जाता है, परन्तु मात्र दो लोगों का ही चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। आवेदक/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। वे दिनाँक–26.02.2026 से जेल में निरुद्ध हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई।

8– राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण द्वारा घटना वाले दिन अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध जमाव कायम करके धारदार हथियार, लाठी, डण्डा व अवैध असलहा से लैस होकर कोटवा चौराहे पर समाल अहमद को गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की नीयत से धमकी देते हुए मार–पीट रहे थे। वादी द्वारा उक्त घटना को देखने व शोर करने पर नमाज से वापस लौट रहे गांव के अफजाल, खालिक, इमरान व अन्य कई ग्रामवासी वहां पर पहुंचे और समाल अहमद को बचाने का प्रयास करने लगे, जिस पर आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा उनको भी गाली–गुप्ता व धमकी देते हुए मारा–पीटा गया। चोटहिल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरगंज ले जाया गया, जहां से हालत गम्भीर होने पर चोटहिल को लखनऊ ट्रामा सेन्टर संदर्भित किया गया। आवेदक/अभियुक्तगण के मारने–पीटने से चोटहिल समाल अहमद को गंभीर एवं प्राणघातक चोटें आईं हैं। गवाहान ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। दोनों पक्षों के मध्य गांव के कब्रिस्तान पर कब्जेदारी को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है तथा दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में भी लड़ाई–झगड़ा हो चुका है। आवेदक/ अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। मामले की विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलन शेष है। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया गया तो उनके द्वारा कहीं फरार हो जाने, गवाहों को डराने–धमकाने, मुकदमे की विवेचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भाग जाने की प्रबल संभावना है। आवेदक/ अभियुक्तगण साक्ष्य एवं साक्षियों विशेष रूप से वादी को डराने–धमकाने का प्रयास करेंगे। कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/ अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

9– केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह अभियोग है कि उन्होंने व सह–अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–25.02.2026 को अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध जमाव कायम करके धारदार हथियार, लाठी, डण्डा व अवैध असलहा से लैस होकर समाल अहमद को गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की नीयत से धमकी देते हुए मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण व प्राणघातक उपहति कारित की। केस डायरी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरगंज, बहराइच के पंजिका के पृष्ठ की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसमें दिनांक–25.02.2026 को समय 09:50 पी०एम० पर क्रम संख्या–782 पर समाल अहमद पुत्र अली अहमद का नाम अंकित है, जिसे के०जी०एम०यू० लखनऊ संदर्भित किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं०–1 में डॉ० बासुदेव वर्मा ने विवेचक को दिये अपने बयान में दिनांक–25.02.2026 को रात्रि 09:50 मिनट पर मजरूब समाल अहमद पुत्र अली अहमद के पेट, हाथ, हिप पर कोई धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने, काफी खून बहने, मजरूब की गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार हेतु जनपद–लखनऊ हायर सेन्टर उपचार हेतु संदर्भित कर देने का अभिकथन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में विवेचक द्वारा अवलोकन रिपोर्ट में मजरूब समाल अहमद का इलाज दिनांक–26.02.2026 से ट्रामा सेन्टर/के०जी०एम०यू० लखनऊ में अभी तक जारी होने का उल्लेख किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं०–4 में मजरूब समाल अहमद ने विवेचक को दिये अपने बयान में यह अभिकथन किया है कि दिनांक–27.02.2026 को रात्रि लगभग 09:45 बजे वह ग्राम–बैरी महेशपुर की मस्जिद से तरावीह की नमाज पढ़कर कोटवा चौराहे से होते हुए अपने घर आ रहा था। जैसे ही कोटवा चौराहे पास स्थित कब्रिस्तान के निकट पहुंचा, तभी आवेदक/अभियुक्तगण उसे जबरन खींचते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले गए, वहां पहुंचने पर आवेदक/अभियुक्तगण व अन्य अभियुक्तगण ने उसे घेर लिया। उस समय फसी अहमद के हाथ मे चाकू, मोनिस के हाथ में बर्फ काटने वाला चाकू तथा तुफैल के हाथ में भी चाकू था। रफी अहमद ने उसे पीछे से मजबूती से पकड़ लिया था। अन्य हमलावरों के हाथ में लाठी–डंडा था। इसके बाद जिन अभियुक्तगण के हाथ में चाकू था, उन्होंने उस पर चाकू से प्राणघातक हमला किया तथा अन्य हमलावरों ने लाठी–डंडों से मारा–पीटा। अभियुक्तगण एक राय होकर सामान्य आशय, साझा मंशा एवं उद्देश्य से उसके ऊपर हमला कर रहे थे। उनका आशय उसे गंभीर चोट पहुंचाना मात्र नहीं, बल्कि उसे जान से मारना था। अग्रेतर कथन किया कि गांव के कब्रिस्तान को लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा है, जिसका मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड में विचाराधीन है। इसी बात की रंजिश को लेकर अभियुक्तगण ने एक राय होकर, समान आशय व साझा मंशा से उसके ऊपर यह जानलेवा हमला किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–5 में चश्मदीद साक्षी अफजाल, अब्दुल खालिक व रियाज अहमद ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में उक्त कथनों के समान कथन किये हैं। केस डायरी के साथ संलग्न फर्द बरामदगी में विवेचक द्वारा मजरूब के पहने हुए खूनालूद कपड़ों को मजरूब के घर से बरामद किये जाने का उल्लेख किया गया है। अभियोगी की ओर से सूची के माध्यम से मजरूब की फोटो तथा मजरूब समाल अहमद का उपचार के०जी०एम०यू० लखनऊ से कराये जाने सम्बन्धी प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मामले की विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्य संकलन शेष है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त की जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः आवेदक/अभियुक्तगण रफी अहमद, फसी अहमद, समी अहमद उर्फ अली अहमद, मोनिस, तुफैल उर्फ तुफैल अहमद, सईद व इरफान की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–59/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109 बी०एन०एस०, थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांकः 19.03.2026 Id.UP 2017